



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: बैतुल, (म.प्र.)

Branch : Betul M.P.



सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर

(पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर

2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)

C/O ग्राम खेडी सावलिंगढ़, जिला बैतुल म प्र 460225

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/12/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक 16.02.2023 एवं नई दुनिया में दिनांक 17.02.2023 को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे में के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल -3200 वर्ग फीट पता: खेडी सावलिंगढ़, जिला बैतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लाट, पूर्व - बचा हुआ प्लाट एवं पश्चिम - बैतुल भैसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)

तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्रीमती उर्मिला राठौर
पत्नी स्वर्गीय श्री रमेश राठौर,
निवासी पानी टंकी के निकट,
ग्राम एवम् पोस्ट खेड़ी सावलीगढ़,
जिला बैतुल मध्य प्रदेश 460225

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक **16/12/2020** की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से **दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक)** को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक **16.02.2023** एवं नई दुनिया में दिनांक **17.02.2023** को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेड़ी सावलीगढ़, जिला बैतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लाट, पूर्व - बचा हुआ प्लाट एवं पश्चिम - बैतुल भैंसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)

तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्री ओमप्रकाश राठौर
पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश राठौर,
निवासी पानी टंकी के निकट,
ग्राम एवम् पोस्ट खेड़ी सावलीगढ़,
जिला बैतुल मध्य प्रदेश 460225

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/12/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक 16.02.2023 एवं नई दुनिया में दिनांक 17.02.2023 को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेड़ी सावलीगढ़, जिला बैतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लॉट, पूर्व - बचा हुआ प्लॉट एवं पश्चिम - बैतुल भैंसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)
तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्री जय प्रकाश राठौर
पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश राठौर,
निवासी पानी टंकी के निकट,
ग्राम एवम् पोस्ट खेड़ी सावलीगढ़,
जिला बैतुल मध्य प्रदेश 460225

विषय : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिदिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/12/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक 16.02.2023 एवं नई दुनिया में दिनांक 17.02.2023 को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल -3200 वर्ग फीट पता: खेड़ी सावलीगढ़, जिला बैतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लाट, पूर्व - बचा हुआ प्लाट एवं पश्चिम - बैतुल भैंसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)
तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्री आकाश राठौर
पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश राठौर,
निवासी पानी टंकी के निकट,
ग्राम एवम् पोस्ट खेड़ी सावलीगढ़,
जिला बैतुल मध्य प्रदेश 460225

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/12/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक 16.02.2023 एवं नई दुनिया में दिनांक 17.02.2023 को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेड़ी सावलीगढ़, जिला बेतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लॉट, पूर्व - बचा हुआ प्लॉट एवं पश्चिम - बैतुल भैसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)
तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्री विशाल राठौर
पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश राठौर,
निवासी पानी टंकी के निकट,
ग्राम एवम् पोस्ट खेड़ी सावलीगढ़,
जिला बैतुल मध्य प्रदेश 460225

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक **16/12/2020** की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक)** को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक **16.02.2023** एवं नई दुनिया में दिनांक **17.02.2023** को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेड़ी सावलीगढ़, जिला बैतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लाट, पूर्व - बचा हुआ प्लाट एवं पश्चिम - बैतुल भैसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)
तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति

श्रीमती राधा राठौर
पत्नी श्री राकेश राठौर,
पुत्री स्वर्गीय श्री रमेश राठौर
निवासी ग्राम एवम् पोस्ट काटकुंभ, तहसिल चिखलधरा
जिला अमरावती महाराष्ट्र

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- MSME ऋण खाता 3515261491 & 3532618884

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 07/02/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/12/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20.03.2023 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों: राज एक्सप्रेस में दिनांक 16.02.2023 एवं नई दुनिया में दिनांक 17.02.2023 को किया है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक सेवा प्रदाता में एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/> पर उपलब्ध लिंक देखें।

एतद्वारा आपको 30 (तीस) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वावर संपत्ति का विवरण:

क्र	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर - 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. निरंजनसिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोजीलाल राठौर	रु 15522108.00 + ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेडी सावलिगढ़, जिला बेतुल म. प्र. 460001 सर्वे न./खसरा न. 173/5, पी सी न. 25, बंदोबस्त न. 132. जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लाट, पूर्व - बचा हुआ प्लाट एवं पश्चिम - बैतूल भैसदेही रोड

स्थान: बैतुल (म.प्र.)
तिथि: 17.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया